लय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

17/11/24 वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी बुलाए जाने पर प्रकट है। [illegible] दिनांक..... को पेश हो।
18-3-24

18/3/24 पत्रावली पेश हुई वकुलाय उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते [illegible] अधिवक्ता [illegible] किया जाता है। दिनांक..... को पेश हो।
28-3-24

28/3/24 पत्रावली पेश हुई वकुलाय उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते [illegible] दिनांक..... को पेश हो।
29-4-24

29/4/24 पत्रावली [illegible] पूर्वादेशानुसार दिनांक..... को पेश हो।
30-5-24

30/5/24 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उप० नहीं। प्रकरण में बार-बार वादी व वादी वकील को आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वादी वकील उप० नहीं। निरर्थक [illegible] है कि वादी व वादी वकील [illegible] में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मु० [illegible] 680/2020 [illegible] बनाम [illegible] अदम पैरवी व अदम रुचि में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार [illegible] नम्बर की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:11:37 IST
Reason: SelfAttested